

न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
गोहद जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 129/2013

संस्थापन दिनांक 15.03.2013

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना मौ जिला भिण्ड म.प्र.

– अभियोजन

बनाम

- 1-पिन्की यादव पुत्र विजयसिंह यादव उम्र 23 साल
 - 2-विजयसिंह पुत्र लक्ष्मीनारायण यादव उम्र 51 साल
 - 3-रिन्कू यादव पुत्र विजयसिंह यादव उम्र 28 साल
- निवासीगण ग्राम लुहारपुरा वार्ड नं01 थाना मौ जिला भिण्ड म.प्र.

– अभियुक्तगण

निर्णय

(आज दिनांक.....को घोषित)

1. उपरोक्त अभियुक्त पिन्की यादव और विजयसिंह के विरुद्ध विचारणीय धारा 294, 323/34, 325/34, 506 भाग दो भा.द.स. एवं आरोपी रिन्कू यादव के विरुद्ध धारा 294, 323/34, 325, 506 भाग दो भा.द.स. के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 13.02.13 को सुबह 7 बजे या उसके लगभग लुहारपुरा अंतर्गत थाना मौ स्थित फरियादी रामवरन अ.सा.3 के मकान के सामने लोक स्थान पर अश्लील शब्द उच्चारित कर कृष्णपाल अ.सा.1, शिवराज अ.सा.2 व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया तथा सहअभियुक्त के साथ मिलकर कृष्णपाल अ.सा.1 की मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित कर सामान्य आशय के अग्रसरण में रिन्कू तथा पिन्की ने आहत कृष्णपाल अ.सा.1 तथा आहत शिवराज अ.सा.2 की लाठियों से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा सामान्य आशय के अग्रसरण में कृष्णपाल अ.सा.1 की नाक में लाठी से मारपीट कर अस्थिभंग कारित कर स्वेच्छा घोर उपहति कारित की तथा कृष्णपाल अ.सा.1 व शिवराज अ.सा.2 को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 13.02.13 को फरियादी रामवरन अ.सा.3 का बेटा कृष्णपाल अ.सा.1 मकान के बाहर बैठा था तब कृष्णपाल अ.सा.1 ने रिन्कू से उधारी के पैसे मांगे तो आरोपी रिन्कू पिन्की व विजय ने उसे अश्लील गालियां दी उसने गाली देने से मना किया तो रिन्कू ने लाठी मारी जो कृष्णपाल अ.सा.1 के नाक में लगी जिससे चोट होकर खून निकलने

लगा रामवरन अ.सा.3 व शिवराज अ.सा.2 बचाने गये तो पिन्की ने शिवराज अ.सा.2 के बांये पैर के अंगूठे में लाठी मारी जिससे चोट होकर खून बहने लगा तब रामवरन अ.सा.3 व तरुण मृत ने बीच बचाव कराया। तत्पश्चात आरोपीगण अश्लील गालियां देते हुए बोल कि आज तो बच गया आइन्दा जान से खत्म कर देंगे और फिर आरोपीगण वहां से भाग गये। तत्पश्चात फरियादी रामवरन अ.सा.3 ने थाना मौ में आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी-1 दर्ज कराई जिस पर से थाना मौ में अप0क्र0 16/13 पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरान्त आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोगपत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

3. आरोपीगण ने आरोपित आरोप को अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपीगण की प्रतिरक्षा है कि उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।
4. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न है कि
 1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 13.02.13 को सुबह 7 बजे या उसके लगभग लुहारपुरा अंतर्गत थाना मौ स्थित फरियादी रामवरन अ.सा.3 के मकान के सामने लोक स्थान पर अश्लील शब्द उच्चारित कर कृष्णपाल अ.सा.1, शिवराज अ.सा.2 व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?
 2. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर सामान्य आशय के अग्रसरण में सहअभियुक्त के साथ मिलकर आरोपी रिन्कू तथा पिन्की ने कृष्णपाल अ.सा.1 तथा शिवराज अ.सा.2 की लाठियों से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
 3. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर सामान्य आशय के अग्रसरण में कृष्णपाल अ.सा.1 की नाक में लाठी से मारपीट कर अस्थिभंग कारित कर स्वेच्छा घोर उपहति कारित की ?
 4. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर कृष्णपाल अ.सा.1 व शिवराज अ.सा.2 को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

// विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 लगायत 04 का सकारण निष्कर्ष //

5. साक्षी कृष्णपाल अ.सा.1 ने कथन किया है कि आरोपीगण उसके पड़ोसी हैं। दिनांक 27.04.15 से दो वर्ष पूर्व प्रातः 7 बजे वह घर के बाहर बैठा था तब उसने आरोपी रिन्कू, पिन्की व विजय से उधारी के पैसे मांगे तो आरोपीगण उसे मां-बहन की गालियां देने लगे जो सुनने में भद्दी लगी उसने गाली देने से मना किया तो रिन्कू ने उसे लाठी मारी जो नाक में लगी और खून निकलने लगा। वह चिल्लाया तो शिवराज अ.सा.2 बचाने आया तब पिन्की ने शिवराज अ.सा.2 के पैर में लाठी मारी। बीच बचाव करने के लिए मृतक तरुण आया था और उसके चाचा देवीप्रसाद आये थे। उसके पिता रामवरन अ.सा.3 बीच बचाव के लिए नहीं आये थे। इसके बाद वह अपने पिता के साथ थाना मौ में रिपोर्ट करने गया था जहां उसका व शिवराज अ.सा.2 का इलाज हुआ था और फिर उसे ग्वालियर रैफर कर दिया था पुलिस ने पूछताछ कर बयान लिया था।
6. शिवराज अ.सा.2 ने भी मुख्यपरीक्षण में कृष्णपाल अ.सा.1 के कथन का

समर्थन किया है कि दिनांक 27.04.15 से दो वर्ष पूर्व प्रातः 7 बजे जब कृष्णपाल अ.सा.1 ने रिन्कू से उधारी के पैसे मांगे तब रिन्कू पिन्की व विजय ने उसे मां-बहन की गालियां दी उसने मना किया तो रिन्कू ने कृष्णपाल अ.सा.1 के लाठी मार दी जो नाक में लगी खून निकल आया। वह बचाने गया तो पिन्की ने उसे लाठी मारी जो बांये पैर में लगी और खून निकल आया वह चिल्लाया तो रामवरन अ.सा.3, तरुण ने बीच बचाव किया। आरोपीगण ने जाते समय बोला कि दोबारा जान से मार देंगे। घटना के बाद वह कृष्णपाल अ.सा.1 के साथ थाना मौ में रिपोर्ट करने गया था जहां उसके पिता ने रिपोर्ट लिखाई थी। पुलिस ने घटनास्थल पर आकर नक्शामौका प्र0पी-1 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर तरुण के हस्ताक्षर हैं। लेकिन तरुण की एक्सीडेन्ट में मृत्यु हो गयी है। पुलिस ने उससे घटना के संबंध में पूछताछ की थी और उसका व उसके भाई का अस्पताल में इलाज हुआ था।

7. रामवरन अ.सा.3 ने कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानता है। विजय उसका भाई और रिन्कू व पिन्की उसके भाई के बच्चे हैं। दिनांक 07.09.15 से तीन वर्ष पूर्व जब वह अपने घर के दरवाजे पर गोबर डाल रहा था तब आरोपीगण ने घर में घुसकर कृष्णपाल अ.सा.1 की नाक में लाठी मारी थी और पत्थर मारे थे। उसने रिपोर्ट लिखाई थी परन्तु पुलिस ने उसकी रिपोर्ट ठीक से नहीं लिखी थी। रिपोर्ट प्र0पी-2 पढ़कर सुनाये जाने पर भी उसने कथन किया है कि उसने ऐसी रिपोर्ट लिखवाई होगी। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि घर के बाहर कृष्णपाल अ.सा.1 को रिन्कू ने लाठी मारी जो नाक में लगी और स्वतः कथन किया है कि घर के अंदर लाठी मारी थी। अभियोजन के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि सुबह 7 बजे कृष्णपाल अ.सा.1 घर के बाहर बैठा था तब रिन्कू से उधारी के पैसे मांगे तो रिन्कू व पिन्की ने मां बहन की गालियां दीं। इस सुझाव को स्वीकार किया है कि शिवराज अ.सा.2 बचाने आया तो रिन्कू ने लाठी मारी जो बांये पैर के अंगूठे में लगी और यह स्वीकार किया है कि उसने व तरुण ने बीच बचाव किया था। यह भी स्वीकार किया है कि आरोपीगण ने कहा था कि जान से खत्म कर देंगे।

8. साक्षी डॉ० आर० विमलेश अ.सा.4 ने कथन किया है कि वह दिनांक 13.02.13 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मौ में मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को आहत कृष्णपालसिंह अ.सा.1 पुत्र रामवरन अ.सा.3 उम्र 17 साल निवासी लोहारपुरा थाना मौ को सैनिक 80 अर्जुन थाना मौ द्वारा लाये जाने पर चिकित्सीय परीक्षण करने पर आहत के चोट नं०1 फटा हुआ घाव दाहिनी ओर ललाट पर जिसका आकार 1.1गुणा1/4 से.मी. गुणा मांसपेशी तक गहरा था। चोट की प्रकृति जानने के लिए एक्सरे की सलाह दी गयी थी तथा चोट नं०2 नील निशान साथ में सूजन 1.6गुणा1से.मी. नाक के उपरी हिस्से तक नाक से खून बह रहा था। उक्त समस्त चोटें सख्त एवं भौथरी वस्तु द्वारा आई हुई प्रतीत होती हैं जो उसके परीक्षण से 12 घण्टे के भीतर की अवधि की थी। नाक का एक्सरे कराने की सलाह दी गयी थी। रिपोर्ट प्र0पी-3 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसी दिनांक को कृष्णपाल अ.सा.1 का एक्सरे किया गया जिसमें उसके द्वारा रेडियोलॉजिस्ट की एक्सपर्ट ओपीनियन चाही गयी। ओपीनियन हेतु जिला चिकित्सालय भिण्ड को रैफर किया गया। एक्सरे रिपोर्ट प्र0पी-5 है

जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसी दिनांक को उसी कांस्टेबल द्वारा लाये जाने पर शिवराजसिंह अ.सा.2 पुत्र रामवरन अ.सा.3 उम्र 20 वर्ष निवासी लोहारपुरा मौ का चिकित्सीय परीक्षण करने पर आहत के चोट नं01 फटा हुआ घाव बांये पैर के अंगूठे पर जिसका आकार 1.4गुणा1/4 से.मी.गुणा मांसपेशी तक गहरा था तथा चोट नं02 खरोंच 1/2से.मी.गुणा1/2से.मी.आकार में दाहिने अंगूठे के मध्य थी। उक्त दोनों चोटें सख्त एवं मौथरे हथियार द्वारा आई हुई प्रतीत होती हैं जो उसके परीक्षण से 12 घण्टे के भीतर की अवधि की होकर साधारण प्रकृति की थी। चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्र0पी-4 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

9. साक्षी नवरंगसिंह अ.सा.5 ने कथन किया है कि वह दिनांक 13.02.13 को थाना मौ में प्र0आरक्षक लेखक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसके द्वारा फरियादी रामवरन अ.सा.3 की रिपोर्ट पर से अप0क0 16/13 धारा 323, 294, 506बी/34 भा.द.स. के तहत आरोपी रिन्कू, पिन्की, विजय के के विरुद्ध फरियादी की जबानी रिपोर्ट के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट उसके द्वारा लेखबद्ध की गयी एवं फरियादी को पढ़कर सुनाने पर फरियादी ने सही होना स्वीकार किया था जो रिपोर्ट प्र0पी-2 है के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।
10. प्रकरण में साक्षी तरुण की मृत्यु होने से अभियोजन उसे साक्ष्य में परीक्षित कराने में असमर्थ रहा है। कृष्णपाल अ.सा.1 ने मुख्यपरीक्षण में बताया है कि रामवरन अ.सा.3 ने बीच बचाव नहीं कराया था जबकि शिवराज अ.सा.2 ने मुख्यपरीक्षण में बताया है कि रामवरन अ.सा.3 ने बीच बचाव कराया था। रामवरन अ.सा.3 ने भी सुझाव स्वरूप ही स्वीकार किया है कि उसने बीच बचाव कराया था। लेकिन पैरा 3 में बताया है कि उसने लाठी मारते हुए नहीं देखा था। उसने केवल खून निकलते हुए देखा था। अतः यह साक्षी रामवरन अ.सा.3 घटना का प्रत्यक्ष साक्षी होना स्पष्ट नहीं होता है परन्तु घटना के तत्काल बाद उसने कृष्णपाल अ.सा.1 को रक्तरंजित होकर घायल अवस्था में देखा है। अतः घटना के प्रत्यक्ष साक्षी के रूप में स्वयं आहत कृष्णपाल अ.सा.1 व शिवराज अ.सा.2 की ही साक्ष्य अभिलेख पर है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत **भजनसिंह बनाम हरियाणा राज्य ए.आई.आर. 2011 सु.को.2552** में प्रतिपादित किया गया है कि आहत साक्षी की साक्ष्य पर विश्वास किया जाना चाहिए। जबकि उसको निरस्त करने के आधार अभिलेख पर न हों।
11. कृष्णपाल अ.सा.1 व शिवराज अ.सा.2 ने पैरा 2 में स्वीकार किया है कि विजय उसके खास ताउ हैं। रामवरन अ.सा.3 ने भी मुख्यपरीक्षण में बताया है कि विजय उसका भाई है। अतः आरोपीगण, आहत व फरियादी के ही परिवार के हैं। लेकिन कृष्णपाल अ.सा.1 ने इंकार किया है कि विजय से उनका बंटवारे का विवाद चल रहा है।
12. कृष्णपाल अ.सा.1 ने पैरा 2 में कथन किया है कि उसने विजय को बीस हजार रुपये उधार दिए थे लेकिन कितने के नोट किस दिनांक को दिए थे उसे याद नहीं है। कथन प्र0डी-1 में बीस हजार रुपये मांगने वाली बात लिखाये जाने का लोप यह साक्षी स्पष्ट करने में असमर्थ रहा है। कृष्णपाल अ.सा.1 ने इंकार किया है कि उसके पिता ने छोटे खटीक को पैसे उधार दिए थे और स्वतः कथन किया है कि विजय ने छोटे खटीक को उधार दिए थे और स्वीकार किया है कि पैसे उन्हीं के बाले थे और इस सुझाव से इंकार किया है कि छोटे खटीक ने मय ब्याज के पैसे लौटा दिए हैं और इस सुझाव से भी इंकार किया है कि झगड़े

के पहले ही पैसे लौटा दिए थे और पैरा 3 में इंकार किया है कि वह बीस हजार रुपये जबरदस्ती मांग रहा है इसलिए झूठी गवाही दे रहा है। शिवराज अ.सा.2 ने भी पैरा 2 में इंकार किया है कि बीस हजार रुपये छोटे खटीक को दिए थे और स्वतः कथन किया है कि बीस हजार रुपये विजय को दिए थे और उसे नहीं पता कि विजय ने छोटे खटीक को रुपये दिए हैं और कथन प्र0डी-2 में बीस हजार रुपये वाली बात का लोप यह साक्षी बताने में असमर्थ रहा है और पैरा 3 में इंकार किया है कि उसने रुपये छोटे खटीक को वापिस कर दिए हैं और वह दोबारा आरोपीगण से रुपये मांग रहा है।

13. कथन प्र0डी-1 व 2 में यह उल्लिखित है कि उन्होंने आरोपीगण से उधारी के पैसे मांगे थे लेकिन कितने पैसे मांगे अथवा कितने रुपये उधार थे यह उल्लिखित नहीं है। उक्त तथ्य उस स्थिति में तात्विक होता जबकि अभियोजन साक्षियों के प्रतिपरीक्षण में अथवा बचाव साक्ष्य में यह तथ्य स्पष्ट होता कि आरोपीगण ने शोध्य राशि फरियादी को लौटा दी थी। परन्तु कृष्णपाल अ.सा.1 व शिवराज अ.सा.2 ने स्पष्ट इंकार किया है कि आरोपीगण ने धनराशि लौटा दी थी। अतः उक्त लोप तात्विक नहीं माना जा सकता है। धनराशि विजय को न देकर छोटे खटीक को दिया जाना भी उक्त दोनों अभियोजन साक्षीगण ने स्वीकार नहीं किया है और बचाव पक्ष द्वारा भी इस संबंध में कोई साक्ष्य पेश नहीं की गयी है कि धनराशि विजय को न देकर छोटे को दी गयी थी। अतः धनराशि भी आरोपीगण को दिया जाना प्रतीत होता है जो आरोपी व फरियादी के नातेदार होते हुए भी घटना का कारण स्पष्ट करता है।
14. शिवराज अ.सा.2 ने पैरा 2 में कथन किया है कि उसके सामने रिन्कू ने कृष्णपाल अ.सा.1 को लाठी नहीं मारी थी जब कृष्णपाल अ.सा.1 चिल्लाया था तब वह आया था। अतः कृष्णपाल अ.सा.1 को लाठी मारे जाने का शिवराज अ.सा.2 प्रत्यक्ष साक्षी नहीं है। कृष्णपाल अ.सा.1 ने पैरा 3 में बताया है कि उसे रिन्कू ने एक हाथ दूर से लाठी मारी थी जो कितनी बड़ी थी उसे नहीं मालूम उसके नाक में दो लाठी मारी थी और उसे बगल में खड़े होकर लाठी मारी थी। अतः रिन्कू द्वारा नाक में लाठियां मारा जाना कृष्णपाल अ.सा.1 के प्रतिपरीक्षण में भी अखण्डित रहा है, जिसकी संपुष्टि डॉ0 आर0विमलेश अ0सा04 के कथन से भी होती है। जिन्होंने कृष्णपाल अ.सा.1 के नाक में रक्तस्राव और एक्सरे प्र0पी-5 में अस्थिभंग का उल्लेख पाया है। डॉ0 आर0विमलेश अ0सा04 ने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि उक्त चोट पत्थर पर गिरने से आ सकती है। लेकिन ऐसा कोई तथ्य कृष्णपाल अ.सा.1 के प्रतिपरीक्षण में प्रतीत नहीं हुआ है कि वह पत्थर पर गिरा हो। अतः कृष्णपाल अ.सा.1 के अस्थिभंग की संपुष्टि एक्सरे रिपोर्ट प्र0पी-5 से होती है।
15. कृष्णपाल अ.सा.1 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 3 में बताया है कि घटना किस तारीख की है उसका उपचार किस तारीख को हुआ था उसका बयान किस तारीख को लिया गया था उसे नहीं मालूम। मुख्यपरीक्षण में भी कृष्णपाल अ.सा.1 ने घटना की दिनांक नहीं बतायी है। अतः प्रतिपरीक्षण में उक्त तथ्य का विरोधाभास नहीं माना जा सकता है जबकि उसने घटना साक्ष्य अंकित होने से दो वर्ष पूर्व होना बताया है जोकि अभियोजित घटना दिनांक 13.02.13 के समयावधि की ही है। कृष्णपाल अ.सा.1 ने पैरा 3 में बताया है कि उसका एक माह तक ग्वालियर में इलाज चला था इसके बाद उसके बयान लिए थे। कथन प्र0डी-1 भी दिनांक 06.03.13 के ही हैं अर्थात् लगभग 20 दिवस उपरांत के हैं। कृष्णपाल अ.सा.1 ने

पैरा 3 में बताया है कि उसने कथन प्र0डी-1 में रिन्कू द्वारा 2-3 लाठी मारे जाने की बात बतायी थी। कथन प्र0डी-1 में रिन्कू द्वारा लाठी मारा जाना उल्लिखित है 2-3 लाठी मारा जाना उल्लिखित नहीं है जिसका स्पष्टीकरण भी पैरा 7 में दिया है कि वह बेहोश हो गया था इसलिए नहीं मालूम कि पिन्की ने उसे कितनी लाठियां मारीं थीं। अतः जबकि आहत घटना के समय बेहोश हो गया था और उसे आरोपीगण द्वारा कितनी लाठियां मारी गयी यह ज्ञात नहीं है तब कथन प्र0डी-1 में लाठियों की संख्या न लिखाया जाना लोप नहीं माना जा सकता है क्योंकि वह साक्षी को ज्ञात ही नहीं है और ना ही उसने मुख्यपरीक्षण में बताया है।

16. शिवराज अ.सा.2 ने पैरा 3 में कथन किया है कि ऐसा नहीं हुआ कि जब झगड़ा हुआ तब वह घर के अंदर था। रामवरन अ.सा.3 ने मुख्यपरीक्षण में घटनास्थल घर के अंदर का होना बताया है। लेकिन उपरोक्तानुसार ही स्पष्ट हुआ है कि वह घटना का प्रत्यक्ष साक्षी नहीं है और ना ही वह आहत साक्षी है इसलिए उसके कथन से कि घटना घर के अंदर कारित की गयी थी, संपूर्ण अभियोजन साक्ष्य विश्वसनीय नहीं हो जाती है।
17. रामवरन अ.सा.3 ने पैरा 3 में बताया है कि वह थाने पर कितने बजे गया था उसे जानकारी नहीं है। उसका अंगूठा करा लिया था। नक्शामौका पर उसका अंगूठा कराया या नहीं उसे याद नहीं है। नवरंग अ.सा.5 ने पैरा 2 में बताया है कि रामवरन अ.सा.3 ने सुबह 8 बजे रिपोर्ट लिखाने आया था उसके साथ अन्य कोई नहीं आया था। एफ.आई.आर. प्र0पी-2 से स्पष्ट होता है कि घटना 7 बजे की होकर घटनास्थल से एक कि0मी0 दूर स्थित थाने पर प्रातः 8:10 बजे ही रिपोर्ट लिखवाई गयी है। अतः एफ.आई.आर. में कोई विलम्ब नहीं है। एफ.आई.आर. प्र0पी-2 पर रामवरन अ.सा.3 का अंगुष्ठ चिन्ह ही है। नक्शामौका प्र0पी-1 पर उसके हस्ताक्षर न होकर तरुण के हस्ताक्षर हैं जिसकी मृत्यु हो चुकी है। नक्शामौका प्र0पी-1 में भी घटनास्थल रामवरन अ.सा.3 के मकान के सामने का ही है। अतः घटनास्थल कृष्णपाल अ.सा.1 और शिवराज अ.सा.2 के मौखिक कथन से भी सिद्ध होता है।
18. कृष्णपाल अ.सा.1 ने ऐसा कथन नहीं किया है कि आरोपीगण ने उसे जान से मारने की धमकी दी है शिवराज अ.सा.2 ने भी मात्र यह बताया है कि आरोपीगण ने कहा था कि जान से मार देंगे। अतः शिवराज अ.सा.2 के कथन का समर्थन स्वयं कृष्णपाल अ.सा.1 ने नहीं किया है और शिवराज अ.सा.2 के कथन से भी ऐसा स्पष्ट नहीं होता है कि वह अभित्रस्त हुआ हो अथवा आरोपीगण का आशय उन्हें अभित्रस्त करने का रहा हो। अतः समर्थन के अभाव में शिवराज अ.सा.2 के अस्पष्ट कथन से भी यह विश्वसनीय रूप से प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपीगण ने आपराधिक अभित्रास कारित किया हो।
19. कृष्णपाल अ.सा.1 ने और शिवराज अ.सा.2 ने मुख्यपरीक्षण में बताया है कि आरोपीगण ने मां-बहन की गालियां दी थी परन्तु दोनों ही साक्षीगण ने स्पष्ट नहीं किया है कि उन्हें क्या गालियां दी थी जिससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि आरोपीगण द्वारा दी गयी गालियां अश्लील प्रकृति की थी और क्षोभ कारित करने को पर्याप्त थीं। अतः अभियोजन यह विश्वसनीय साक्ष्य पेश करने में असमर्थ रहा है कि आरोपीगण ने लोकस्थान पर कृष्णपाल अ.सा.1 और शिवराज अ.सा.2 को अश्लील शब्द उच्चारित किए।
20. कृष्णपाल अ.सा.1 द्वारा स्वयं को आरोपी रिन्कू द्वारा लाठी से नाक में

अस्थिभंग कारित कर घोर उपहति पहुंचाये जाने का मुख्यपरीक्षण में दिया कथन प्रतिपरीक्षण में अखण्डित रहा है जिसकी संपुष्टि डॉ० आर०विमलेश अ.सा.4 के कथन व एक्सरे रिपोर्ट प्र०पी-5 से भी होती है। शिवराज अ.सा.2 को पिन्की द्वारा पैर में चोट पहुंचाया जाना कृष्णपाल अ.सा.1 व शिवराज अ.सा.2 द्वारा स्पष्ट रूप से मुख्यपरीक्षण में बताया गया है जो प्रतिपरीक्षण में भी अखण्डित रहा है जिसकी संपुष्टि डॉ० आर०विमलेश अ०सा०४ के कथन से भी हुई है। कृष्णपाल अ.सा.1 और शिवराज अ.सा.2 के उक्त कथन पर अविश्वास किए जाने का कोई कारण प्रतीत नहीं हुआ है। घटना में विजय द्वारा उपस्थित होकर पिन्की और रिन्कू को घटना कारित करने में सहयोग दिया गया है। अतः विजय का कृष्णपाल अ.सा.1 और शिवराज अ.सा.2 को उपहति पहुंचाये जाने का सामान्य आशय भी स्पष्ट करता है।

21. अतः अभियोजन द्वारा दी गयी साक्ष्य से यह युक्तियुक्त संदेह के परे साबित होता है कि आरोपीगण ने सहअभियुक्त के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में कृष्णपाल अ.सा.1 को स्वेच्छया घोर उपहति और शिवराज अ.सा.2 को स्वेच्छा उपहति कारित की। परन्तु यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि आरोपीगण ने कृष्णपाल अ.सा.1 और शिवराज अ.सा.2 को आपराधिक अभित्रास कारित किया अथवा लोकस्थान पर अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित किया।
22. परिणामतः उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना पर प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर आरोपीगण को धारा 294, 506 भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है। आरोपीगण को धारा 323/34 भा.द.स. के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है। आरोपी रिन्कू को धारा 325 भा.द.स. और आरोपी पिन्की और विजय को धारा 325/34 भा.द.स. के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।
23. आरोपीगण के जमानत व मुचलके भारमुक्त कर उन्हें अभिरक्षा में लिया जाता है।
24. अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों पर विचार किया गया। आरोपीगण ने शोध्य धनराशि न लौटाकर अपने ही भाइयों की मारपीट की है। अतः आरोपीगण का आचरण ऐसा नहीं है कि उन्हें परिवीक्षा का लाभ प्रदान किया जाये। अतः आरोपीगण को परिवीक्षा पर रिहा नहीं किया जा रहा है।
25. प्रकरण दण्ड के प्रश्न पर सुनने हेतु कुछ देर पश्चात पेश हो।

सही/-

(गोपेश गर्ग)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

पुनश्च:

26. आरोपीगण के अधिवक्ता को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया उनके द्वारा निवेदन किया गया कि यह आरोपीगण का प्रथम अपराध है अतः न्यूनतम सजा दिए जाने का निवेदन किया है।
27. दण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया।

28. आरोपीगण को कृष्णपाल अ.सा.1 को स्वेच्छया घोर उपहति कारित किए जाने के आरोप में दण्डादेश दिए जाने से धारा 71 भा.द.स. के अधीन लघुत्तर अपराध अंतर्गत धारा 323/34 भा.द.स. के आरोप में प्रथक से दण्डादेश नहीं दिया जा रहा है।
29. आरोपीगण को शिवराज अ.सा.2 को उपहति कारित करने के लिए धारा 323/34 भा.द.स. के आरोप में एक माह के सश्रम कारावास व पांच सौ रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड जमा किए जाने के व्यतिक्रम की दशा में 15 दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगताया जाये।
30. आरोपी रिन्कू को धारा 325 भा.द.स. और आरोपी पिन्की व विजय को धारा 325/34 भा.द.स. में कृष्णपाल अ.सा.1 को उपहति पहुंचाये जाने के आरोप में एक वर्ष के सश्रम कारावास व पांच सौ रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड जमा किए जाने के व्यतिक्रम की दशा में 15 दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगताया जाये।
31. प्रकरण में आरोपीगण निरोध में नहीं रहे हैं इस संबंध में धारा 428 द.प्र. स. का प्रमाण पत्र बनाया जाये।
32. धारा 357 द.प्र.स. के अधीन 1500/-रुपये क्षतिपूर्ति राशि आहत कृष्णपाल अ.सा.1 को और पांच सौ रुपये क्षतिपूर्ति राशि शिवराज अ.सा.2 को अपील अवधि पश्चात संदाय की जाये और अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये।
33. प्रकरण में जप्त लाठी, डण्डा अपील अवधि पश्चात नष्ट किया जाये और अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये।

दिनांक :-

सही/-

(गोपेश गर्ग)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0